

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पत्रांक-वि०प्रा० (IV)योजना(जीर्णोद्धार)-24/2021-

पटना/दिनांक,

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
वीरचन्द पटेल पथ,
बिहार, पटना।

विषय — सात निश्चय कार्यक्रम के अन्तर्गत विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के परिसर में अतिरिक्त भवनों 300(तीन सौ) शय्या का एक बालक छात्रावास(G+5) एवं 300(तीन सौ) शय्या का एक बालिका छात्रावास (G+5) के निर्माण कार्य के लिए कुल राशि रु० 4623.59 लाख (छियालीस करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश— स्वीकृत।

राज्य सरकार ने भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-3388(भ०)अनु०, दिनांक-09.04.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आधार पर दिनांक-24.06.2025 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-26 के अन्तर्गत स्वीकृत प्रस्ताव के आलोक में सहरसा जिला में स्थापित एवं संचालित राजकीय पोलिटेकनिक, सहरसा के परिसर में अतिरिक्त भवनों 300(तीन सौ) शय्या का एक बालक छात्रावास(G+5) एवं 300(तीन सौ) शय्या का एक बालिका छात्रावास (G+5) के निर्माण कार्य के लिए कुल राशि रु० 4623.59 लाख (छियालीस करोड़ तेईस लाख उनसठ हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय राज्य स्कीम बजट के अधीन:-

(क) माँग सं०- 03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष- 02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-104-बहुशिल्प, उपशीर्ष-0108-पोलिटेकनिक भवन(निश्चय), विपत्र कोड- 03-4202021040108 के अधीन "53 01-मुख्य निर्माण कार्य" विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल प्रस्तावित राशि का 83% अर्थात् कुल रु० **3837.58** लाख मात्र विकलनीय होगा।

(ख) माँग सं०- 03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0103-पोलिटेकनिक/ इंजीनियरिंग/ तकनीकी महाविद्यालय, विपत्र कोड- 03-4202027890103 के अधीन "53 01- मुख्य निर्माण कार्य" विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल प्रस्तावित राशि का 16% अर्थात् कुल रु० **739.77** लाख मात्र विकलनीय होगा।

(ग) माँग सं०- 03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा, लघुशीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष-0103-पोलिटैकनिक/इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय, विपत्र कोड-03-4202027960103 के अधीन "53 01- मुख्य निर्माण कार्य" विषयशीर्ष में उपबंधित राशि से कुल प्रस्तावित राशि का 1% अर्थात् कुल रु० 46.24 लाख मात्र विकलनीय होगा।

3. उक्त प्रशासनिक स्वीकृत के विरुद्ध राशि विमुक्ति संबंधी व्यायादेश/आवंटनादेश, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा संबंधित भवन प्रमंडल, सहरसा को प्रदान किया जायेगा।

4. आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत/विनिर्दिष्ट कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, सहरसा होंगे।

5. आवंटित राशि की निकासी नियमानुसार जिला कोषागार, सहरसा से की जायेगी।

6. विमुक्ति हेतु स्वीकृत राशि की निकासी विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन राशि तक सीमित रहेगा।

7. विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का पत्रांक-1289, दिनांक-18.03.2025 के द्वारा अनुमोदित स्थल ले-आउट प्लान भवन निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जा चुका है।

8. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि० दिनांक-03.12.2024 में अंकित प्रावधानानुसार दिनांक-24.06.2024 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-26 पर निर्णय के आलोक में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- वि०प्रा० (IV)योजना(जीर्णोद्धार)-24/2021 के पृ०-34/टि० पर प्राप्त है।

9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि० (2), दिनांक-05.10.2007 अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अहमद महमुद)

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० (IV)योजना(जीर्णोद्धार)-24/2021-

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० (IV)योजना(जीर्णोद्धार)-24/2021-

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर सचिव

